रजिस्टर्ड नं० ल०-33/13-14/93.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 19 अक्तूबर, 1993/27 आश्विन, 1915

### हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

(भौमिकीय शाखा)

अधिसूचना

रिकांग पिओ, 15 अक्तूबर, 1993

संख्या इण्ड/किन/खनिज/नीलामी/81-82.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला किन्नौर की लघु खनिज खानों की नीलामी महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रिकांग पिओ के कार्यालय में दिनांक 25-10-93

2916-राजपत्र/93-19-10-93—1,152.



मूल्य : 1 रुपया।

को प्रातः 11.00 बजे की जाएगी । इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रिकांग पिओ से सम्पर्क स्थापित करें।

---

जिला किन्नौर की लघु खनिज खानों का नीलामी प्रस्ताव

| क्रम संख्या | खान का नाम | खसरा नं० | क्षेत्र | मौजा | खनिज का नाम | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कीरटी खान (मूरंग) | 1022 | 69.99 | जंगी | रेत, बजरी, पत्थर | एक वर्ष |
| 2. | चौलिग खान | 213 | 6-58-28 | चौलिग | -यथोपरि- | -यथोपरि- |

नीलामी निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर की जा रही है :—

1. नीलामी विक्रय के नियम व शर्तें हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार स्थल पर उद्घोषित की जाएगी ।

2. बोली प्रति वार्षिक होगी ।

3. कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हों वह पीठासीन अधिकारी के फीस 100/- रुपये अग्रिम धन अग्रिम रूप में जमा करवाएगा । जो बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दी जाएगी ।

4. बोलीदाता बोली देने से पहले उनकी अपनी रूचि मे खानों का निरीक्षण कर सकते हैं ।

5. पीठासीन अधिकारी को अधिकार दिये गये हैं कि वह बिभिन्न खानों का एक समूह व एक खान के छोटे भाग बिना कारण बताए कर सकता है ।

6. बोलीदाता सरकार की देय राशि का बाकीदार नहीं होना चाहिए । कोई बोली दाता जो दोषी पाया जाए को उसे नीलामी मे भाग लेने की की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7. ठेके की अवधि स्लेट खानों के अतिरिक्त ठेकों की स्वीकृत तिथि से एक वर्ष तक होगी व स्लेट खानों क मामले में 5 वर्ष की होगी ।

8. नीलामी पूर्ण होने पर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे और अस्थाई तौर से चयन किये गए बोलीदाता निम्न तरीकों में नीलामी की वांछित राशि पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाएंगे ।

जहां पर बोली की राशी 1000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त क रूप में जमा करवाएगा । यदि उच्चतम बोली 1000/-रुपये या इससे कम हो तो उस अवस्था म पूरी वार्षिक बोली की

राशि के अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के तौर पर जमा करवाएगा। यदि कोई उच्च बोलीदाता बोली की वांछित राशि जमा न करवायें तो उस अवस्था में उस द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन जब्त कर दिया जाएगा।

9. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

10. सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।

11. कोई भी खनन कार्य पुल से राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राज्य उच्च मार्ग से क्रमशः 75 मीटर, 60 मीटर व 50 मीटर की दूरी तक नहीं किया जाएगा।

12. बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करे, तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि जब्त करते हुए उसे बोली में भाग नहीं लेने देगा व उसे 3 साल के लिए भविष्य की बोली में भाग नहीं लेने देगा व उसे 3 साल के लिए भविष्य की बोली में हिस्सा न लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

13. बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकृत समझी जायेगी जब इसके स्वीकृति आदेश सरकार से अथवा किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हों।

14. नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज खानों का क्षेत्र अधिसूचना में दर्शाया गया हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त खानों के स्थल नक्शे राजस्व रिकार्ड जो सम्बन्धित खनिज अधिकारी/महा प्रबन्धक के पास होंगें उन पर दिखाया गया क्षेत्र अधिसूचित लघु खनिज खानों का क्षेत्र मान्य होगा।

15. खड्डों/दरिया में खनन कार्य उनके दोनों किनारे से 5 मीटर की दूरी तक नहीं किया जाएगा।

16. नीलामी की गई लघु खनिज खानों का कब्जा उसी अवस्था में दिया जाएगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।

17. बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी।

18. ठेकेदार, हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायतें) संशोधित नियमावली 1971, के नियम 33 के अन्तगत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 मास के भीतर शर्तनामें पर हस्ताक्षर करेगा। यदि शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार इस अवधि के मध्य असफल रहे तो उस अवस्था में ठका रद्द समझा जायेगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं प्रथम किस्त की राशि जब्त कर दी जाएगी।

19. लघु खनिज खानों जो नीलामी के लिए अधिसूचित की गई हों, यदि उनका सीमांकन न किया गया हो तो ऐसी खानों की नीलामी में शामिल नहीं किया जाएगा।

20. यदि कोई बोलीदाता अधिसूचित खानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हों, वे सम्बन्धित अधिकारी/महा प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित करें।

21. जहां कहीं भी स्पेन द्वारा खनिजों की ढुलाई करने की आवश्यकता हो तो इस अवस्था में स्पेन की अलाटमैंट को ठेकेदार द्वारा विभाग से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।

22. नदी/नालों को नीलामी के लिए प्राकृतिक लक्षण के आधार पर अधिसूचित किया गया है, इन क्षेत्रों में यदि वन भूमि का स्वीकृत खनन पट्टे पड़े, तो उनमें खनिजों के एकत्रीकरण पर ठेकेदार का कोई हक न होगा। यदि इन क्षेत्रों में निजि भूमि पड़ती हो तो उस अवस्था में ठेकेदार खनिजों का एकत्रीकरण करने से पूर्व निजि भूमि मालिकों से सहमति पत्र प्राप्त करके विभाग को प्रस्तुत करेगा तभी उसी अवस्था में ठेकेदार ऐसी भूमि पर खनिजों के एकत्रीकरण का अधिकार रखेगा यदि भूमि मालिक किसी ठेकेदार के पक्ष में दिया गया सहमति पत्र भी मान्य नहीं होगा। उस अवस्था में क्षेत्र से न ही भूमि मालिक और न ही अन्य व्यक्ति (ठेकेदार को छोड़कर) खनिजों का एकत्रीकरण कर पाएगा। अर्थात् स्थल पर खनिज के अधिकार ठेकेदार के ही होंगे।

23. अधिसूचित लघु खनिज खानों के समक्ष लिखे गए लघु खनिजों के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे खनिजों की निकासी/निर्यात ठेकेदार उस क्षेत्र से करता है तो उसी अवस्था में नए उपलब्ध खनिज पर अतिरिक्त रायल्टी नियमानुसार अदा करनी आवश्यक होगी।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।